न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :— तारीख दायर 4-6-18

रवि पिता प्रभू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द (छोटी बिजौलियां) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. मांगी लाल पिता खेमराज जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द (छोटी बिजौलियां) तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. गोपाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द (छोटी बिजौलियां) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. कजोड़ पिता खेमराज जाति धाकड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द (छोटी बिजौलियां) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 — 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :—

दिनांक :- 23-7-2018

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 368 पर अंकित आराजी संख्या 1911/1450 रकबा 0—07 बीघा, आराजी संख्या 1913/1450 रकबा 1—08 बीघा, आराजी संख्या 2135/617 रकबा 1—16 बीघा कुल किता 3 रकबा 3—11 बीघा भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू—अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। [illegible]

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 368 पर अंकित आराजी संख्या 1911/1450 रकबा 0—07 बीघा, आराजी संख्या 1913/1450 रकबा 1—08 बीघा, आराजी संख्या 2135/617 रकबा 1—16 बीघा कुल किता 3 रकबा 3—11 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner